पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2011 ई० (ज्येष्ठ 07, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	223–225	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	121–125	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	15–17	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

21 मार्च, 2011 ई0

संख्या 27/XXVI/दो(21)/2004–तात्कालिक प्रभाव से श्री सुन्दर लाल, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को शासकीय हित में अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी कार्यालय में सम्बद्ध किया जाता है।

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

12 मई, 2011 ई0

संख्या 873/VII-II/520 उद्योग/2007–अधिसूचना संख्या 590/VII-I/328 उद्योग/2007, दिनांक 28 मई, 2007 के द्वारा सिडकुल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सिडकुल जांच आयोग का गठन किया गया था। अधिसूचना संख्या 3783/VII-II/520 उद्योग/2007, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा सिडकुल जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया था।

उपरोक्त क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल, सिडकुल जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक विस्तारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

18 मई, 2011 ई0

संख्या 583/VIII/11–04(ई0एस0आई0)/2011–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी के उपलब्ध रिक्त 01 पद के सापेक्ष विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डा0 नरेश कुमार, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड को मुख्य चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड पे–6600, के पद पर प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी को उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2006 के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

अधिसूचना / नियुक्ति

31 मार्च, 2011 ई0

संख्या 930 / X–2–2010–8(52) / 2001–वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 (यथासंशोधित वर्ष 2006) की धारा–4(1)(खख) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित सूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित महानुभाव को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित कार्य क्षेत्र हेतु उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wild Life Warden) नियुक्त करते हैं :–

पद नाम	नियुक्त किये जाने वाले महानुभाव का नाम / पता	कार्य क्षेत्र (जनपद / संरक्षित क्षेत्र / प्रभाग)	समयावधि
1	2	3	4
अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wild Life Warden)	श्री बिजेन्द्र सिंह, 28 सुन्दर नगर, नई दिल्ली	कार्बेट टाइगर रिजर्व	आदेश के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए

2–उपरोक्त प्रकार से नियुक्त किये गये अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wild Life Warden) के परिप्रेक्ष्य में अन्य सुसंगत कार्यवाही नियमानुसार प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

आज्ञा से,

एम0एच0 खान,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट / 211–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 07, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(स्थापना अनुभाग)

आदेश

06 अगस्त, 2010 ई0

पत्रांक 1967/आयु0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/वाणि0क0/2010–2011/दे0दून–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा–2004" के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री सुरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री दौलत सिंह राणा, निवासी–ग्राम वास्तिल, तहसील त्यूणी, जनपद–देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाणिज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम–व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2) वेतनमान रु0 6500–200–10500 (छठे वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान 9300–34800+ग्रेड वेतन 4200) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है तथा कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, 405 इन्दिरा नगर से सम्बद्ध किया जाता है।

2–उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

(1) प्रश्नगत पद की सेवायें "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली–2009" तथा शासन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

(2) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती के सन्दर्भ में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(3) आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, 405 इन्दिरा नगर, देहरादून के कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(4) योगदान करते समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचनायें/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने पर घोषणा–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

(4) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

(5) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

3–वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 04–09–2010 को प्रशिक्षण हेतु कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 405 इन्दिरा नगर, देहरादून में अपेक्षित औपचारिकतायें/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। इस तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सन्दर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

4–यह आदेश रिट याचिका संख्या–292/(एस0)/(बी) ऑफ 2008 प्रताप सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–309 (एस0)/बी ऑफ 2008 दिग्विजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–07 (एस0)/(बी) ऑफ 2009 नीलम राणा बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन संशोधनीय/परिवर्तनीय होगी।

राधा रतूड़ी,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

विज्ञप्ति

मार्च, 2010 ई0

पत्रांक 1994–2016/डीटीईयू/0711/सेवा0/अधि0 क्षेत्र/10–सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 नियमावली, 1960 नियम–7 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियम व धारा के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित समस्त विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए, मैं, डा0 बी0बी0आर0 पुरूषोत्तम निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अधिक्षेत्र के सेवायोजकों के सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 (संख्या–31, 1959) की धारा–6 में अभिदिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने का प्राधिकार एतद्द्वारा प्रदान करता हूं।

क्रमांक	अधिकारी का पद नाम	अधिक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
1.	उप निदेशक (सेवायोजन) उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
2.	सहायक निदेशक (सेवायोजन) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	तदैव
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी	तदैव
4.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार क्षेत्र
5.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लैंसडोन	जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, क्षेत्र
6.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल	सम्पूर्ण जनपद, नैनीताल
8.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पिथौरागढ़	सम्पूर्ण जनपद, पिथौरागढ़
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चम्पावत	सम्पूर्ण जनपद, चम्पावत

क्रमांक	अधिकारी का पद नाम	अधिक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
10.	जिला सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सम्पूर्ण जनपद, ऊधमसिंह नगर
11.	जिला सेवायोजन अधिकारी, बागेश्वर	सम्पूर्ण जनपद, बागेश्वर
12.	जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी	सम्पूर्ण जनपद, टिहरी
13.	जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी	सम्पूर्ण जनपद, उत्तरकाशी
14.	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	सम्पूर्ण जनपद, हरिद्वार
15.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चमोली	सम्पूर्ण जनपद, चमोली
16.	जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण जनपद, रुद्रप्रयाग
17.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
18.	नगर सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी	तहसील क्षेत्र, पौड़ी
19.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रानीखेत	तहसील क्षेत्र, रानीखेत
20.	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	तहसील क्षेत्र, काशीपुर
21.	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	तहसील क्षेत्र, हल्द्वानी
22.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रामनगर	तहसील क्षेत्र, रामनगर
23.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति) कालसी	सम्पूर्ण चकरौता, तहसील क्षेत्र
24.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (विकलांग) देहरादून	देहरादून जनपद क्षेत्र

डा0 बी0बी0आर0 पुरुषोत्तम,
निदेशक।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के चार्ज हस्तान्तरण का प्रमाण—पत्र

10 अक्टूबर, 2010 ई0

पत्रांक 804/1–13(4)—मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने अपर यमुना वन प्रभाग का कार्यभार आज दिनांक 10–10–2010 के अपरान्ह में प्राप्त करते समय रोकड़वही के अनुसार कोई नकद धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, और रोकड़ शून्य पाया है। मैंने समस्त अभिलेखों की पूर्णतया जांच कर ली है, तथा समस्त लेखों के देयकों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है। स्थिति अभिलेखों के अनुसार सही पाई गई।

माह सितम्बर, 2010 का मासिक लेखा तैयार किया जा चुका है और सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से परिचित हो गया हूं। मैंने सभी प्रकार के स्टाफ तथा अन्य जैसे किताबें या कार्यालय रिकार्ड या कार्यालय फर्नीचर जो प्रधान कार्यालय में है, सभी को भली–भांति देख लिया है तथा रजिस्टर अपटूडेट पोस्ट किये हुए हैं।

चैक बुकें :—

प्रभाग के अन्तर्गत निम्न चैक बुकें प्रयोग में लाई जा रही हैं।

1—साख सीमा की चैक बुक संख्या—758/001 से 758/057 तक 57 चैक प्रयुक्त।

साख सीमा की चैक बुक संख्या—758/057 से 758/100 तक 43 चेक अप्रयुक्त।

2–डी0सी0एल0 चैक बुक–00061/001 से 00061/63 तक 63 चैक प्रयुक्त।

चैक बुक संख्या–00061/064 से 00061/100 तक 37 चैक अप्रयुक्त।

3–पी0एल0ए0 चैक बुक संख्या–01081/01 से 01081/03 तक 3 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या–01081/04 से 01081/50 तक 47 चैक अप्रयुक्त।

4–आई0जी0वी0पी0 योजना

चैक संख्या–452521 से 452525 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या–452526 से 452540 तक 15 चैक अप्रयुक्त।

5–एफ0डी0ए0

चैक संख्या–016361 से 016365 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या–016366 से 016380 तक 15 चैक अप्रयुक्त।

6–विश्व खाद्य कार्यक्रम

चैक संख्या–014781 से 014788 तक 8 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या–014789 से 014800 तक 12 चैक अप्रयुक्त।

7–कैम्पा

चैक संख्या–464601 से 464605 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या–464606 से 464625 तक 20 चैक अप्रयुक्त।

चार्ज दिया

(गिरधारी सोनार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

चार्ज लिया

(ए0के0 त्रिपाठी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

24 अक्टूबर, 2010 ई0

पत्रांक 844/1–13(4)–मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने अपर यमुना वन प्रभाग का कार्यभार आज दिनांक 24–10–2010 के पूर्वान्ह में प्राप्त करते समय रोकड़वही के अनुसार कोई नकद धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, और रोकड़ शून्य पाया है। मैंने समस्त अभिलेखों की पूर्णतया जांच कर ली है, तथा समस्त लेखों के देयकों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है। स्थिति अभिलेखों के अनुसार सही पाई गई।

माह सितम्बर, 2010 का मासिक लेखा तैयार किया जा चुका है और सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से परिचित हो गया हूं। मैंने सभी प्रकार के स्टाफ तथा अन्य जैसे किताबें या कार्यालय रिकार्ड या कार्यालय फर्नीचर जो प्रधान कार्यालय में है, सभी को भली–भांति देख लिया है तथा रजिस्टर अपटूडेट पोस्ट किये हुए हैं।

चैक बुकें :–

प्रभाग के अन्तर्गत निम्न चैक बुकें प्रयोग में लाई जा रही हैं।

1–साख सीमा की चैक बुक संख्या–758/001 से 758/057 तक 57 चैक प्रयुक्त।

साख सीमा की चैक बुक संख्या–758/057 से 758/100 तक 43 चेक अप्रयुक्त।

2—डी०सी०एल० चैक बुक—00061/001 से 00061/63 तक 63 चैक प्रयुक्त।

चैक बुक संख्या—00061/064 से 00061/100 तक 37 चैक अप्रयुक्त।

3—पी०एल०ए० चैक बुक संख्या—01081/01 से 01081/03 तक 3 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या—01081/04 से 01081/50 तक 47 चैक अप्रयुक्त।

4—आई०जी०वी०पी० योजना

चैक संख्या—452521 से 452525 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या—452526 से 452540 तक 15 चैक अप्रयुक्त।

5—एफ०डी०ए०

चैक संख्या—016361 से 016365 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या—016366 से 016380 तक 15 चैक अप्रयुक्त।

6—विश्व खाद्य कार्यक्रम

चैक संख्या—014781 से 014788 तक 8 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या—014789 से 014800 तक 12 चैक अप्रयुक्त।

7—कैम्पा

चैक संख्या—464601 से 464605 तक 5 चैक प्रयुक्त।
चैक संख्या—464606 से 464625 तक 20 चैक अप्रयुक्त।

चार्ज दिया

(ए०के० त्रिपाठी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

चार्ज लिया

(गिरधारी सोनार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 हिन्दी गजट/210—भाग 1—क—2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 07, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, देहरादून

सूचना

21 मई, 2011 ई0

पत्रांक 129/पौ0प्रति0/2011–12–नगर पालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) ने यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 (यथा संशोधित) की धारा 298 (1) (एक) की सूची–1 शीर्षक 'ज' के खण्ड ज (ड) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत नगर को स्वच्छ बनायें रखने, मानव जीवन तथा पशुजीवन, पर्यावरण तथा प्रदूषण की रक्षा, लोक सुरक्षा या सुविधा में अभिवृद्धि की दृष्टि से पॉलीथीन/कैरीबैग या इसी प्रकार की अन्य पॉलीथीन सामग्री जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, को नियन्त्रित व प्रतिबन्धित करने हेतु उपविधियों की प्रस्तावना की गयी है जो समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित किये गये थे। निर्धारित समय अन्तर्गत कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुये। तैयार उपनियमों का अनुमोदन बोर्ड प्रस्ताव सं0 02, दिनांक 03–03–2011 के द्वारा किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा (298) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त उपविधियों को उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति की जाती है।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, विकासनगर पॉलीथीन/कैरीबैग नियंत्रण उपविधि–2011 कहलायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद्, विकासनगर की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में।

(क) ऐक्ट का तात्पर्य उत्तराखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) से है।

(ख) नगर पालिका परिषद् से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून से है)।

(ग) पालिका सीमा क्षेत्र का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है जो कि शासकीय गजट संख्या उ0प्र0न0पा0क0वि0स0–182 बी0/11–क–68, दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के द्वारा अधिसूचित किया गया है में प्रकाशित सीमाओं से है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) सफाई निरीक्षक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, विकासनगर के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

(च) अध्यक्ष का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो विकासनगर नगर पालिका परिषद्, विकासनगर बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो।

(छ) पालिका बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, विकासनगर के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है।

प्रतिषेध :–

3–कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी या दुकानदार नगर पालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार के पॉलीथीन/कैरीबैग का भण्डारण, उत्पादन, बिक्री और परिवहन नहीं करेगा न ही बिक्री हेतु लायेगा।

4–पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी या दुकानदार किसी भी प्रकार की पॉलीथीन, कैरीबैग या अन्य प्रकार की ऐसी कोई पॉलीथीन क्रय/विक्रय नहीं करेगा और न ही बेचने की चेष्टा करेगा। जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर में गन्दगी होने की सम्भावना हो।

5–पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान जैसे नदी/भूमि/नाली/मकान/आंगन/बगीचा/शौचालय/मूत्रालय/दुकान के आगे–पीछे ऐसी पॉलीथीन, कैरीबैग, अनुपयोगी प्लास्टिक के डिब्बे, चायपत्ती के खाली रैपर्स/गुटकों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं रखेगा/फेंकेगा जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण उत्पन्न हो, जो मानव जीवन पशुजीवन के लिये घातक हो तथा जिसमें गन्दगी होने की सम्भावना हो।

6–पालिका क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सामान की पेकिंग्स पर आने वाला पॉलीथीन/गत्ता/चिल्ला जो भी हो, क्रेता/विक्रेता अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा तथा पालिका से सफाई कर्मी को उसकी ड्यूटी के दौरान उसके सुपुर्द करेगा, जिसे ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध व हथालन) नियम 2000 के अनुसार पालिका द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

7–सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली पैक में आते हों जैसे रबर किस चिल्ला चाय पत्ती के थेली रैपर्स (टैट्रापेक) पराग दूध या इसी प्रकार दूध के अन्य रैपर्स, बिस्कुट पैकेट के पॉली पैक रैपर्स/खाली डिब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटकों आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जाते हैं को ऐसे सामान का क्रेता/विक्रेता/मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पालिका के सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा, जिसे पालिका द्वारा उपनियम 6 में उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

8–पालिका सीमान्तर्गत प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में पॉलीथीन की थैली/कैरीबैग/पैकेट/डिब्बे/रैपर्स जो कि पॉलीथीन की श्रेणी में हो और जिसमें गन्दगी होने की सम्भावना हो पालिका की सड़कों/गलियों या खुले स्थान/सार्वजनिक स्थान में नहीं फेंकेगा, बल्कि पालिका के डस्टबिन/कन्टेनर में ही डाल सकेगा।

9–पालिका सीमान्तर्गत जिस किस भी व्यक्ति/व्यक्तियों भवन स्वामियों/किरायेदारों, कुलियों मजदूरों के अगल–बगल जिसकी सीमान्तर्गत ऐसी पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का पॉलबैग जैसे पराग दूध के अनुपयोग रैपर्स या इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी पॉलीबैग सामग्री जिससे गन्दगी उत्पन्न हो और होने की सम्भावना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा।

शास्ति

1–जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसायी/दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत जारी आदेशों का उल्लंघन किया जायेगा वह रु0 5000/– (पांच हजार रुपये) जुर्माने अथवा 01 माह के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह रु0 100/– प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा।

2–जो कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी दुकानदार इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने, अपराध में सहायता, दुष्प्रेरण करता है, या उपसाधक है, वह दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिये चिन्हित कारावास से दण्डित किया जायेगा।

3–नगर पालिका परिषद्, विकासनगर के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पालिका के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिये तात्कालिक रूप से रु0 500/– (पांच सौ रुपये मात्र) तक नगद रूप से अर्थदण्ड ले सकते हैं।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, विकासनगर,
देहरादून।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, विकासनगर,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/211–भाग 8–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।